भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 546
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की भर्ती के लिए प्रक्रिया ज्ञापन

546. श्री ए.के.पी. चिनराज :
श्री सदाशिव किसान लोखंडे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) भारत के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) की स्थिति क्या है और एमओपी के संबंध में सरकार और न्यायपालिका के मध्य विवाद का विषय क्या है ;

(ख) न्यायपालिका एमओपी में क्या परिवर्तन चाहती है और इन परिवर्तनों को लागू करने में सरकार के समक्ष क्या बाधाएं हैं;

(ग) क्या सरकार को मैसर्स पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड लिमिटेड और अन्य [स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 2419, 2019] में उच्चतम न्यायालय के न्याय के अनुरूप उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में समय-सीमा में परिवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय/कॉलेजियम से कोई पत्र प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का उक्त याचिका में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एमओपी में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक प्रशासनिक मामला है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के विद्यमान ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से रिक्तियों के होने से छह महीने पहले रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्ताव शुरू करने की अपेक्षा की जाती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने एनजेएसी मामले में 2015 की रिट याचिका(सि.) 13 की सुनवाई करते हुए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुपूरक पर 16.12.2015 को विस्तृत आदेश जारी किया। वही आदेश के पैरा 10 में, यह अधिकथित किया गया था कि भारत सरकार पात्रता मानदंड, पारदर्शिता, सचिवालय की स्थापना और शिकायतों से निपटने के तंत्र को ध्यान में रखते हुए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से प्रक्रिया ज्ञापन को अंतिम रूप दे सकती है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम के सर्वसम्मत दृष्टिकोण के आधार पर विनिश्चय लेंगे।

भारत सरकार ने उचित विचार-विमर्श के पश्चात, विद्यमान एमओपी में प्रस्तावित बदलाव और एमओपी के मसौदे को भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को तारीख 22.03.2016 के पत्र द्वारा भेजा गया था। उस पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की प्रतिक्रिया 25.05.2016 और 01.07.2016 को प्राप्त हुई थी। 03.08.2016 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को सरकार के विचारों से अवगत कराया गया। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के एमओपी पर इनपुट भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से तारीख 13.03.2017 के पत्र द्वारा प्राप्त किया गया था। उच्चतम न्यायालय के 04.07.2017 के एक अन्य निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही में "स्व प्रेरणा से", उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पर फिर से विचार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। भारत सरकार ने तारीख 11.07.2017 के पत्र के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के महासचिव को एमओपी के मसौदे में सुधार करने की आवश्यकता से अवगत कराया है।

उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड लिमिटेड और अन्य [स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या: 2019 का 2419]में अपने आदेश तारीख 20.04.2021 द्वारा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों की प्रक्रिया के मामले में संवैधानिक अधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली अतिरिक्त समयसीमा विहित की है। तथापि, ये समय-सीमाएँ अभी एमओपी का हिस्सा नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 224क के अधीन उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले पर रिट याचिका(सि.) 2019 का 1236 में तारीख 20.04.2021 के एक पृथक निर्णय में उनकी नियुक्ति के लिए नए मानदंड अधिकथित किए हैं। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात सरकार ने विद्यमान एमओपी के अनुपूरक पैरा 24 के लिए 18.08.2021 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अपने विचार प्रस्तुत किए, जो अनुच्छेद 224क के अधीन उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंध करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में समय-सीमा में परिवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय/कॉलेजियम से अलग से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

****